[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग ।।, खण्ड 3 उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>अधिसूचना</u>

सं. 28/2016 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26 जुलाई, 2016

सा.का.नि. (अ)- केन्द्र सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस बात से सहमत होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एततद्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग ।।, खंड 3 उपखंड (i) में सा.का.नि. 138 (अ) के अंतर्गत दिनांक 1 मार्च, 2003 को प्रकाशित भारत सरकार वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 1 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या 8/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उपर्युक्त अधिसूचना में-

(क) सारणी में क्रम सं. 3 के स्थान पर और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)
"3	घरेलू उपभोग के लिए आभूषण की मदों अथवा आभूषण की मदों के हिस्से अथवा दोनों, जिसमें चाँदी के आभूषणों की मदें शामिल नहीं हैं, अपितु इसमें चाँदी के आभूषणों की वे मदें शामिल हैं जिनपर हीरा, माणिक्य, पन्ना अथवा नीलम जड़ा है, जो कि प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अंतर्गत आते हैं, तथा किसी वित्त वर्ष में 1 अप्रैल को या इसके बाद उनका सकल मूल्य 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं है, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उत्पाद शुल्क की संपूर्ण ड्यूटी से पहली निकासी; बशर्ते कि 1 मार्च, 2016 से शुरू होने वाले और 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान यह छूट, घरेलू उपभोग के लिए आभूषण की मदों अथवा आभूषण की मदों के हिस्से अथवा दोनों, जिसमें चाँदी के आभूषणों की मदें शामिल नहीं हैं, अपितु इसमें चाँदी के आभूषणों की वे मदें शामिल हैं जिनपर हीरा, माणिक्य, पन्ना अथवा नीलम जड़ा है, जो कि प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अंतर्गत आते हैं, की पहली निकासी के संबंध में छूट,अधिकतम 85 लाख रूपये के सकल मूल्य तक लागू होगी ।	शून्य ";

(ख) पैरा 2 में -

(i) उप-पैरा (iii) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि आभूषण की मदों अथवा आभूषण की मदों के हिस्से अथवा दोनों, जिसमें चाँदी के आभूषणों की मदें शामिल नहीं हैं, अपितु इसमें चाँदी के आभूषणों की वे मदें शामिल हैं जिनपर हीरा, माणिक्य, पन्ना अथवा नीलम जड़ा है, जो कि प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अंतर्गत आते हैं, का निर्माता, उक्त नियमों के नियम 11 अथवा नियम 3 के अंतर्गत घरेलू उपभोग के लिए निकासी की गई वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किए गए आगतों पर अदा की गई डयूटी के क्रेडिट का फायदा नहीं उठाएगा, जिनकी पहली निकासी का, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट किए अनुसार आंकलित किया गया सकल मूल्य 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो;
बशर्ते यह भी कि इस उप-पैरा में विहित कोई भी बात किसी अन्य व्यक्ति जो कि पैरा 4 की शर्तों के अनुसार यह छूट प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं है, के ब्रांड नाम अथवा व्यापार नाम वाली विनिर्दिष्ट वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले आगतों पर लागू नहीं होगी ।"

(ii) उप-पैरा (iv) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि आभूषण की मदों अथवा आभूषण की मदों के हिस्से अथवा दोनों, जिसमें चाँदी के आभूषणों की मदें शामिल नहीं हैं, अपितु इसमें चाँदी के आभूषणों की वे मदें शामिल हैं जिनपर हीरा, माणिक्य, पन्ना अथवा नीलम जड़ा है, जो कि प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अंतर्गत आते हैं, का निर्माता, उक्त नियमों के नियम 3 अथवा नियम 11 के अंतर्गत उक्त निकासी के संबंध में डयूटी का भुगतान यदि कोई हो, के लिए पूंजीगत वस्तुओं पर अदा किए गए पूंजीगत वस्तु संबंधी क्रेडिट का भी उपयोग नहीं करेगा, जिनकी पहली निकासी का, उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट किए अनुसार आंकलित किया गया सकल मूल्य 10 करोड़ रूपये से अधिक नहीं हो ।"

(iii) उपपैरा (vii) में, परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि आभूषण की मदों अथवा आभूषण की मदों के हिस्से अथवा दोनों, जिसमें चाँदी के आभूषणों की मदें शामिल नहीं हैं, अपितु इसमें चाँदी के आभूषणों की वे मदें शामिल हैं जिनपर हीरा, माणिक्य, पन्ना अथवा नीलम जड़ा है, जो कि प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 7113 के अंतर्गत आते हैं, के निर्माता द्वारा घरेलू उपभोग के लिए उत्पादन अथवा निर्माण के एक अथवा अधिक कारखाने अथवा परिसर से अथवा एक अथवा अधिक उत्पादकों द्वारा कारखाने अथवा उत्पादन के परिसर सेसभी उत्पादशुल्क योग्य वस्तुओं की, की गई निकासी के संबंध में सकल मूल्य पिछले वित्त वर्ष में 15 करोड़ रूपये अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ग) पैरा 3 में "निर्धारण के आशय से" से प्रारंभ होने वाले शब्दों और 'ध्यान में रखा गया, अर्थात्' पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
‘’किसी वित्त वर्ष में एक अप्रैल को या इसके पश्चात क्रम सं.1 के संबंध में 150 लाख रूपये तक अथवा क्रम सं. 3 के संबंध में 10 करोड़ रूपये तक के, जैसा भी मामला हो, सकल मूल्य की पहली निकासियों का निर्धारण करने के आशय से निम्नलिखित निकासियों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

(फा. सं. 354/25/2016-टीआरयू भाग-1)

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव भारत सरकार

टिप्पणी: प्रधान अधिसूचना सं. 8/2003 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 1 मार्च, 2012 को सा.क.नि. 138(अ) के अंतर्गत प्रकाशित कीगई थी और इसमें दिनांक 1 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं. 8/2016-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जो कि 1 मार्च, 2016 को सा.का.नि. संख्या 225(अ) के अंतर्गत प्रकाशित की गई थी, के द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था।